

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,  
विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई

पत्रांक:- 10343 वि०वि०खं०-द्वि०/उरई


दिनांक 31.03.23

कार्यालय ज्ञाप

एतत् द्वारा कारपोरेशन आवेदनकर्ताओं द्वारा जमा योजना के अन्तर्गत (LMV-5) में भार स्वीकृत हेतु प्रस्तुत आवेदन के कम विद्युत वितरण संहति 2005 एवं अधिनियम 2003 में निहित प्राविधानों एवं नियमों के अन्तर्गत आवेदन किया है एवं आवेदन द्वारा पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत रु. 100.00 का प्रकरण शुल्क जमा कर दिया है, निम्न उपभोक्ताओं का निम्नानुसार वांछित विधा (LMV-5) पूर्ण जमा योजना के अन्तर्गत भार स्वीकृत किया जाता है।

क्र०सं०	आवेदक का नाम व पता	संयोजन निर्गमन स्थल	33/11 के०पी० विद्युत उपकेन्द्र स्थल	विधा/प्रक्रिया	स्वीकृत किये जाने वाला भार (कि०वा०/हॉ०पा०)	एप्लिकेशन नं०	दिनांक	नो० नं०
1/731	मुलायम सिंह पुत्र यदुनाथ	कैंथ	उदोतपुरा	LMV-5	11 HP	1008256652	31.03.2023	6393494316
2/732	राजेश्वरी पत्नी महेन्द्र सिंह	सरसई	बाबई	LMV-5	11 HP	1008256667	31.03.2023	9621646711


निम्न आवेदन आवेदक द्वारा U.P.P.C.L के ऑनलाइन पोर्टल पर किये गये है।

  
(एम०एन० भारती)  
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक:- वि०वि०खं०द्वि०/उरई/  
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

- उपखण्ड अधिकारी/के सम्बन्धित अवर अभियन्ता को इस आशय के साथ प्रेषित है कि विद्युत उपकेन्द्र की लोड क्षमता का निरीक्षण करके प्राक्कलन ई०आर०पी० प्रणाली के माध्यम से एवं वीडियो भी भेजना सुनिश्चित करें।
- खण्डीय लेखाकार (कार्य एवं राजस्व) विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय, उरई।
- सम्बन्धित उपभोक्ता।
- कट फाईल।

  
(एम०एन० भारती)  
अधिशासी अभियन्ता